गृह मंत्रालय मांग संख्या 47 मंत्रिमंडल

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2016-2017			ৰजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	ुल	605.17		605.17	730.00		730.00	750.00		750.00	770.00		770.00
वस्	लियां												
प्रार्ग	<i>प्तयां</i>												
नि	वल	605.17		605.17	730.00		730.00	750.00		750.00	770.00		770.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
 पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता 		1.62		1.62	1.80		1.80	1.80		1.80	1.80		1.80
2. मंत्री परिषद		464.34		464.34	260.67		260.67	418.49		418.49	295.81		295.81
3. मंत्रिमंडल सचिवालय		49.05		49.05	49.99		49.99	57.70		57.70	59.81		59.81
 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय 		39.09		39.09	333.58		333.58	168.08		168.08	303.83		303.83
 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय 		4.26		4.26	34.83		34.83	50.63		50.63	53.18		53.18
6. प्रधानमंत्री का कार्यालय		41.91		41.91	44.13		44.13	48.23		48.23	50.35		50.35
7. आतिथ्य और मनोरंजन व्यय		4.90		4.90	5.00		5.00	5.07		5.07	5.22		5.22
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		605.17		605.17	730.00	•••	730.00	750.00		750.00	770.00	•••	770.00
कुल जोड़		605.17		605.17	730.00		730.00	750.00		750.00	770.00	•••	770.00
ख. योजना परिव्यय													
सामान्य सेवाएं													
1. राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		1.62		1.62	1.80		1.80	1.80		1.80	1.80		1.80
2. मंत्रिपरिषद		598.65		598.65	723.20		723.20	743.13		743.13	762.98		762.98
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं		4.90		4.90	5.00		5.00	5.07		5.07	5.22		5.22
जोड़-सामान्य सेवाएं		605.17		605.17	730.00		730.00	750.00		750.00	770.00		770.00
कुल जोड़		605.17		605.17	730.00	•••	730.00	750.00	•••	750.00	770.00	•••	770.00

- 1. **पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता:** यह प्रावधान भूतपूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता के भुगतानों पर होने वाले व्यय के लिए है।
- 2. **मंत्री परिषद:** मंत्रिपरिषद यह प्रावधान केबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतनों, आतिथ्य तथा अन्य भत्तों तथा उनके द्वारा की जाने वाली यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए है। इसमें अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान के रखरखाव के लिए प्रावधान भी शामिल है।
- 3. **मंत्रिमंडल सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रिमंडल सचिवालय तथा रासायनिक हथियार के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।
- 4. **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।
- 5. **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।
 - 6. प्रधानमंत्री का कार्यालय: यह प्रावधान प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।
- 7. **आतिथ्य और मनोरंजन व्यय:** इसमें विदेशी राष्ट्रों से आने वाले अतिथियों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में ऑफिशियल एंटरटेनमेंट, राष्ट्रीय दिवसों पर प्रीतिभोज, प्रत्यय पत्र प्रदान करने के लिए अधिष्ठापन इन्वेस्टिचर और समारोह पर होने वाले व्यय आदि के लिए प्रावधान शामिल है।